



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-27032026-271324
CG-MH-E-27032026-271324

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1540]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार मार्च 26, 2026/ चैत्र 5, 1948

No. 1540]

NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 26, 2026/ CHAITRA 5, 1948

रेल मंत्रालय

[पश्चिम रेलवे (निर्माण संगठन)]

अधिसूचना

मुंबई, 23 मार्च, 2026

का.आ. 1605(अ).—रेलवे (संशोधन) अधिनियम 2008 की धारा 2 के खंड 37क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद्वारा अहमदाबाद डिवीजन में पश्चिमी रेलवे पर अहमदाबाद-विरामगाम-समाखियाली चौगुनीकरण (247.57 किमी) परियोजना को गुजरात राज्य में भूमि अधिग्रहण हेतु एक विशेष रेलवे परियोजना के रूप में अधिसूचित करती है, और इस अधिसूचना को आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित करने का प्रावधान करती है

[फा. सं. ई-कार्यालय फ़ाइल संख्या 724100]

एस.आर. प्रसाद, मुख्य परियोजना प्रबंधक (निर्माण)-II

MINISTRY OF RAILWAYS
[Western Railway (Construction Organization)]

NOTIFICATION

Mumbai, the 23rd March, 2026

S.O. 1605(E).—In exercise of the powers conferred by clause 37A of Section 2 of the Railways (Amendment) Act 2008 the Central Government hereby notifies Ahmedabad-Viramgam-Samakhiali Quadrupling (247.57Km) project in Ahmedabad Division on Western Railway as a Special Railway Project for acquisition of land in the State of Gujarat, for providing of this notification in the Official Gazette.

[F. No E office file No. 724100]

S.R. PRASAD, Chief Project Manager (C)-II